


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स सुरभि जनरेशनस  
प्रकरण संख्या 519/2019 ( धारा 14 सिव्योरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दस्तावेजों से पृथक(त्रुटिपूर्ण) अंकित किया गया है एवं आदिनांक तक संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही 13(2) के नोटिस की एडी/ट्रेकिंग प्रस्तुत नहीं की गई है।</p> <p>अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> <b>जिला मजिस्ट्रेट</b> <b>(कलक्टर) जयपुर</b></p>	